

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) / न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुलपहाड़, महोबा।

सरकार बनाम रामखिलावन।

मु०नं०-1463 / 2022

धारा-290 भा०दं०सं०।

थाना-कुलपहाड़।

आदेश

दिनांक-12.11.2022

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। अभियुक्त मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

अभियुक्त रामखिलावन पुत्र गोविन्ददास कुशवाहा ने स्वेच्छा से अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है तथा मैं उनको स्वेच्छा से जुर्म स्वीकार के आधार पर धारा-290 भा०दं०सं० के अन्तर्गत दोषी पाता हूँ। अभियुक्त को धारा-290 भा०दं०सं० के अन्तर्गत मु०-10/-रु० के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अर्थदण्ड जमा न करने पर अभियुक्त 01 दिन का साधारण कारावास की सजा भोगेगा।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(शिवार्थ खरे),
सिविल जज(जू०डि०) / न्यायिक मजि०,
कुलपहाड़, महोबा।